गैरयोजना

बिहार सरकार

अन0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग

सं0–1/पी0सी0आर0(विविध)07–60–01/2012– 16

प्रेषक,

रवि परमार

सरकार के सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार

वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना ।

पटना, दिनांक – 13.7.12

विषयः– वित्तीय वर्ष 2012–13 में गैरयोजनान्तर्गत अन्तर्गत अनु0 जाति और अनु0 जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम–1989, नियम–1995 एवं (संशोधित) नियम–2011 के आलोक में अनु0 जाति के व्यक्तियों को अत्याचार से राहत अनुदान हेतु कुल ₹50,00,000/– (पचास लाख रू0) मात्र की स्वीकृति ।

आदेश– स्वीकृत।

2. कुल भारित व्यय की राशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012–13 में गैरयोजना आय–व्यय शीर्ष "2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण–01–अनुसूचित जातियों का कल्याण–277–शिक्षा–मांग सं0–44–0011–छात्रवृत्तियाँ और वृत्तियाँ–3401–छात्रवृति/वजीफा –विपत्र कोड सं0 N 2225012770011 के अन्तर्गत विकलनीय है।

3– संलग्न विवरणी के अनुसार इस राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी होंगे, जो निकासी की गई राशि की व्यय विवरणी प्रत्येक माह विभाग को भेजेंगे। वे अनु0 जाति और अनु0 जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम–1989, एवं नियम–1995 एवं (संशोधन) नियम–2011 के धाराओं और नियमों के प्रावधानों के तहत अनु0 जाति के पीडित व्यक्तियों को अत्याचार से राहत अनुदान की राशि संशोधित दर, जो दिनांक–23–12–2011 से प्रभावी है, पर अनुसूची और उपबन्ध–1 {नियम–12(4)} में राहत राशि के लिए मापदण्ड के साथ–साथ नियम–12(4)(21) में मुख्य रूप से हत्या, मृत्यु, नरसंहार, बलात्कार, सामूहिक बलात्कर, स्थायी असमर्थता और डकैती के मामलों में पीडितों को भुगतान की जाने वाली राहत राशि के अतिरिक्त अत्याचार की तिथि से मृतक की प्रत्येक विधवा और/या अन्य आश्रितों को ₹3000/–(तीन हजार) प्रति मास की दर से भुगतान करेंगें।

राशि की स्वीकृति के तुरत बाद ही जिला पदाधिकारी द्वारा अत्याचार राहत हेतु प्रदान की गई वित्तीय सहायता और फौजदारी मुकदमा के संबंध में की गई कार्रवाई की सूचना सरकार के पास विस्तारपूर्वक अपने मन्तव्य के साथ भेजेंगें। साथ ही उक्त प्रतिवेदन की एक प्रति प्रधान सचिव गृह विभाग को भी उपलब्ध करायेंगे।

4– स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र पत्रांक–2561 दिनांक–17.4.98 तथा समय समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों में निहित निदेशों के आलोक में किया जायेगा ।

5– इस राशि की स्वीकृति आतंरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं0–1/पी0सी0आर0(विविध)07–60–01/2012 के पृ0–8/टि0 पर प्राप्त है।

6– स्वीकृत राशि गैरयोजना उद्व्यय एव बजट उपबन्ध के अन्तर्गत है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(रवि परमार) 13.7.12

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–1/पी0सी0आर0(विविध)07–60–01/2012– 16 पटना, दिनांक 13.7.12
प्रतिलिपि : वित्त विभाग, बजट शाखा/प्रधान सचिव, गृह (विशेष) विभाग/पुलिस महानिरीक्षक (क0व0) अपराध अनुसंधान विभाग बिहार/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित उप विकास आयुक्त/निदेशक, अनु0जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी/सांख्यिकी कोषांग, अनु0जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

सरकार के सचिव । 13/7/12

ज्ञापांक–1/पी0सी0आर0(विविध)07–60–01/2012– 16 पटना, दिनांक 13.7.12
प्रतिलिपि : सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

सरकार के सचिव । 13/7/12

विवरणी–

वित्तीय वर्ष 2012–13 में गैरयोजनान्तर्गत अनु0जाति के व्यक्तियों को अत्याचार राहत अनुदान हेतु स्वीकृत राशि की विवरणी ।

(राशि ₹ में)

कमांक	जिला का नाम	अत्याचार राहत अनुदान हेतु स्वीकृत राशि
1	पटना	900000
2	भागलपुर	500000
3	खगडिया	75000
4	सारण	800000
5	गया	400000
5	सिवान	400000
7	प0 चम्पारण	400000
8	अररिया	500000
9	वैशाली	300000
10	शेखपुरा	125000
11	समस्तीपुर	150000
12	भोजपुर	450000
	कुल योग	5000000

(₹पचास लाख) मात्र।

पत्रांक– दिनांक– का अनुलग्नक।

सरकार के सचिव। 13/7/12

alloatment-atrocirty –nonplan-12-13

संजय